भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

दाखिल खारिज वाद सं0–02/2017–18

संझला टुडू

बनाम्

गणेश टुडू

आदेश

11.1.18

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री संझला टुडू, पिता–बड़ा शरण टुडू, ग्राम–प्रधान भाँजपुर, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा ने नामान्तरण वाद सं0–26/2016–17 अन्तर्गत दिनांक–31.10.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

प्रसांगिक भूमि मौजा– भाँजपुर, थाना नं0– 115, जमाबंदी नं0–02 अन्तर्गत रकवा–07बी0–03 कट्ठा–08 धुर भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है।

संबंधित नामांतरण वाद सं0–26/2016–17 का अभिलेख अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रासंगिक भूमि खतियान में जमाबंदी रैयत बड़ा कुँवर मुर्मू वल्द–झारू मुर्मू, कौम– संथाल के नाम से दर्ज है। बड़ा कुँवर की एक मात्र पुत्री सखी मुर्मू, पति– स्व0 ढेना मुर्मू थी। इन्हें कोई संतान नहीं रहने के कारण गणेश टुडू को पौसपुत्र लिया था एवं जमीन वसीहतनामा लिखा।

उभय पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखा गया है।

प्रथम पक्ष द्वारा बतलाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दाखिल–खारिज किया गया है। गणेश टुडू को बिना निबंधित दस्तावेज के नॉटरी द्वारा पौसपुत्रनामा एवं वसीहतनामा के आधार पर दाखिल खारिज किया गया है। कोई भी निबंधित दस्तावेज नहीं है जिसकी संपुष्टि सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो। विधिवत नोटिश करके पक्ष नहीं सुना गया है। मतदाता सूची में पिता– बाबू टुडू दर्ज है एवं आधार कार्ड सं0–313552439085 में भी पिता–बाबू टुडू दर्ज है। अतः दाखिल–खारिज को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि गणेश टुडू को माता सुखी मुर्मू द्वारा पौसपुत्र लिया गया था एवं उनके नाम से किया गया दाखिल–खारिज सही है। इस भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट (स्वायत्व वाद) चल रहा है।

आवेदक संझला टुडू, पिता–बारा सोरेन टुडू का भूमि पर दावा स्पष्ट नहीं है।

अंचल अधिकारी के वाद सं0– 26/2016–17 में संलग्न पौसपुत्रनामा एवं वसीहतनामा की छायाप्रति निबंधित दस्तावेज का नहीं है एवं नॉटरी का है। इसकी संपुष्टि किसी सक्षम न्यायालय से नहीं है। ऐसी परिस्थिति में गणेश टुडू के नाम से किये गये दाखिल–खारिज को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

11.1.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

11.1.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।